न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 2/2025 प्रा.पत्र दिनांक 23.12.2025

1. सम्पतबाई पत्नी राधेश्याम धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी
2. राधेश्याम पिता भंवरलाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी

– प्रार्थीगण

बनाम

1. सोहनलाल पिता भंवरलाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी
2. मुन्ना पिता भंवरलाल पत्नी महादेव धाकड़ निवासी मोहनपुरा तहसील छोटीसादड़ी
3. भगवतीबाई पिता भंवरलाल पत्नी नन्दकिशोर धाकड़ निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बड़ीसादड़ी
4. अणछीबाई पत्नी भंवरलाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी
5. रामनिवास पिता सुरेश माता कलाबाई धाकड़ निवासी रावतपुरा तहसील छोटीसादड़ी
6. तहसीलदार बडीसादड़ी –अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0 दी0

उपस्थित– श्री दिनेश कुमार वैष्णव वकील प्रार्थीगण
श्री अनिल सोनावा वकील विपक्षी नं. 1
श्री राहुल मेहता वकील विपक्षी नं. 4

–:: आदेश::–

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0 दी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी सोहनलाल वादी ने एक वाद प्रार्थीगण व अन्य विपक्षीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 आर0टी0एक्ट के तहत न्यायालय में पेश किया जिसके प्र0स0 52/2024 ई0रे0 होकर न्यायालय द्वारा दिनांक 20.01.2025 को वाद वादी एक पक्षीय डिक्री कर दिया है। मौजा जयसिंहपुरा में स्थित कृषि आराजी न0 349, 979, 986, 341, 342, 756, 985 हैक्ट. उक्त सम्पूर्ण आराजी भंवर लाल जी के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी उक्त आराजी में से आ0न0 349, 979 सम्पूर्ण व आराजी न0 986 का 1/2 हक हिस्सा प्रार्थीया ने ही भंवरलाल जी की सेवा चाकरी की जिससे प्रसन्न होकर भंवरलाल जी ने अपने जीवनकाल मे प्रार्थीया सम्पतबाई को जरीये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 22.5.2024 को उक्त आराजी दान कर दी व दान के आधार पर उक्त आराजीयात प्रार्थीया संख्या 1 के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई तथा दान वाली आराजी पर प्रार्थीया वक्त दान से तथा भंवर लाल जी की शेष आराजी के 1/2 हिस्से पर राधेश्याम शान्तिपूर्वक काबीज होकर काश्त कर रहे है। वादी सोहनलाल ने उक्त दान पत्र को फर्जी बताते हुए वादग्रस्त आराजीयात व अन्य आराजीयात बाबत् घोषणा व बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रार्थीगण व अन्य विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया वादी विपक्षी सोहनलाल द्वारा प्रस्तुत वाद को न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया व प्रार्थीगण व अन्य विपक्षीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी/विपक्षीगण संख्या 2 से 5 के द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश किया [illegible] मिलीभगत कर वाद वादी डिक्री करा लिया। न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को भी जरीये सम्मन तलब किया गया लेकिन प्रार्थीगण को कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ व प्रार्थीगण के नाम पर जारी सम्मन की पुस्त पर तामील [illegible] ने सम्मन लेने से इन्कार का नोट अंकित पर सम्मन अदम तामील लौटा दिया [illegible] प्रार्थीगण की प्रोपर [illegible] मानते हुए प्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 2.12.2024 को [illegible] कार्यवाही का आदेश [illegible] कर दिया व प्रार्थीगण को सुने बगैर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20.1.2025 को डिक्री कर दिया जबकि प्रार्थीगण के पास

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:28:33 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

कोई तामील कुनीन्दा तहसील से तामील लेकर नहीं आया इसलिये प्रार्थीगण के विरूद्ध पारीत एक पक्षीय आदेश व निर्णय व डिकी न्याय व नियम के विपरीत होने से निरस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण के नाम जारी सम्मन पर तामील कुनीन्दा ने दो मौतबीरान के हस्ताक्षर कराए जिसमें एक व्यक्ति महादेव पिता मोड़ीराम सुथार है जो प्रार्थी क मकान से दुर गांव के बाहर निवास करता है तथा वादी/विपक्षी सोहनलाल का मित्र है तथा दुसरा मौतबीर व्यक्ति गोपाल पिता प्रेमचन्द धाकड़ है जो वादी/विपक्षी सोहनलाल का ब्याई है सोहनलाल की लड़की की शादी गोपाल के पुत्र सायर के साथ करवा रखी है जो दोनों की सोहनलाल वादी के हितबद्ध व्यक्ति है। तामील कुनीन्दा द्वारा प्रार्थीगण को कोई सम्मन नहीं दिया तो मौतबीरान के सामने सम्मन लेने से इन्कार करने की रिपोर्ट तामील कुनीन्दा के द्वारा की गई है जो गलत है। प्रार्थीगण को उक्त वाद की जानकारी नहीं हो इसलिये उक्त फर्जी तरीके से सम्मन की तामील की पुस्त पर सम्मन उक्त मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थीगण ने लेने से इन्कार किया जिसका नोट अंकित कर प्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश करा कर वाद वादी एक पक्षीय डिकी करा लिया। प्रार्थीगण की प्रोपर तामील नहीं हुई है तामील कुनीन्दा द्वारा सम्मन अदम तामील की रिपोर्ट कर न्यायालय मे प्रस्तुत किया फिर भी न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की तामील प्रोपर मानते हुए एक पक्षीय आदेश कर वाद एक पक्षीय डिकी कर दिया जो गैर कानुनी होने से उक्त आदेश व डिकी को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीया सम्पतबाई वादग्रस्त आराजीयात की दानग्रहीता है तथा आराजीयात पर काबीज होकर काश्त कर रही है तथा सोहनलाल ने तामील कुनीन्दा से मिला भक्ति कर फर्जी तरीके से प्रार्थीगण की तामील कराकर प्रार्थीया के विरूद्ध एक पक्षीय डिकी प्राप्त कर ली है जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी राधेश्याम की बहीने अपने ससुराल रहती है तथा न्यायालय में उनका इकबाली जवाब दावा पेश कराकर न्यायालय से वाद डिकी करा लिया तथा उनका नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराकर उनका हिस्सा सोहनलाल ने अपने पक्ष के हक त्याग करा लिया जबकि बहनों का व सोहन लाल का दान की गई आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है इसलिये न्यायालय द्वारा पारीत एक पक्षीय निर्णय व डिकी निरस्त फरमाई जाना न्यायोचित है। इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया के विरूद्ध दिनांक 2.12.2024 को एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया एवं दिनांक 20.01.2025 को वाद वादी एक पक्षीय डिकी कर दिया गया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी। व न ही प्रार्थीगण पर उक्त प्रकरण की कोई तामील ही हुई। सर्व प्रथम उक्त प्रकरण की जानकारी बैंक से ऋण हेतु नकल जमाबंदी प्राप्त करने से हुई। तथा नकल लेते ही उक्त पत्रावली की नकल हेतु न्यायालय में दिनांक 23.04.2025 को आवेदन प्रस्तुत किया एवं दिनांक 25.04.2025 को नकल प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह प्रार्थनापत्र अंदर अवधि जानकारी की दिनांक से 30 दिन में प्रस्तुत है। तथा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित है। इस आशय का प्रस्तुत किया । प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को बाद जांच रजिस्टर दर्ज किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया पेशी दिनांक 03.06.2025 को विपक्षी नं. 1 की ओर से श्री अनिल सोनावा अधिवक्ता, विपक्षी क्रमांक 4 की ओर से श्री राहुल मेहता अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का मय दस्तावेज सहित प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये जवाब प्रस्तुत किया कि प्रकरण संख्या 52/2024 ई.रे. होकर न्यायालय हाजा द्वारा साक्ष्य सबुतों एवं दस्तावेजों के आधार पर समस्त विधिक प्रकिया अपनाते हुये गुणावान के आधार पर डिकी किया गया। मौजा जयसिंहपुरा में स्थित आराजी नं. 349, 979, 986, 341, 342, 756, 985 है उक्त सम्पूर्ण आराजी एवं आराजी नं. 349, 979 सम्पूर्ण व आराजी नं. 986 का 1/2 हिस्सा उक्त भूमि विपक्षी कमांक 1 एवं प्रार्थी कमांक 2 तथा अन्य विपक्षी की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात है जिसके पुराने साबिक आराजी नं. 176/2, 179, 421, 520, 524 व आराजी नं. 525 है उक्त आराजीयात पूर्व में मूल पुरूष विपक्षी कमांक 1 व प्रार्थी कमांक 2 तथा विपक्षी कमांक 2 व 3 के दादा जी नाथू पिता हेमा जी धाकड़ के नाम पर खातेदारी मे दर्ज थी जो विरासत के नामान्तरण संख्या 388 से विपक्षी कमांक 1 के पिता भंवरलाल पिता नाथू जी के नाम पर रिकार्ड में दर्ज हूई जो विपक्षी कमांक 1 व प्रार्थी कमांक 2 तथा विपक्षी कमांक 2, 3 की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात है जिसमें विपक्षी कमांक 1 का बर्थ ऑफ राईट्स होकर जन्मतः हक व अधिकार निहित है। उक्त आराजीयात मे हक व अधिकार से अधिक भूमि का दान पत्र प्रार्थीया कमांक 1 के पक्ष में निष्पादित करवा दिया जबकि उक्त वादग्रस्त आराजीयात के किसी भी भू भाग पर प्रार्थीया कमांक 1 का कोई कब्जा नहीं था इसके सम्बंध में विपक्षी कमांक 1 ने पुलिस थाना बड़ीसादड़ी में प्रार्थीगण के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जो की लम्बित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

प्रार्थीगण ने पूरी खातेदारी में से 1/2 हिस्से पर सम्पतबाई एवं शेष 1/2 हिस्से पर राधेश्याम का काबिज होना अंकित किया है जिससे साबित होता है कि प्रार्थीगण कितने चालाक एवं होशियार है जो सम्पूर्ण आराजी को अपना बता रहे है तथा अन्य वारिस का कोई हक व अधिकार भी नही मान रहे है। विपक्षी कमांक 1 ने पुश्तैनी आराजीयात में जन्मतः हक व अधिकार के आधार पर अपने हक हिस्से की खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद माननीय न्यायालय में पेश किया । उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को दिनांक 25.7.2024 को सम्मन जारी किये गये जिसकी प्रथम पेशी दिनांक 22.8.2024 थी पेशी दिनांक 22.8.2024 को सम्मन लौटे नहीं जिससे पत्रावली देखने बाबत् तामील बइंतजार रहे नियत की गई दिनांक 18.11.2024 को पेशी हुई जिसमें सम्मन पूनः पेश होने पर जारी हो का आदेश किया गया । वादी ने सम्मन मय प्रासेज पेश किये जिस पर सम्मन जारी किये गये दिनांक 18.11.2024 को सम्मन प्रतिवादीगण के बाद तामील लौटे और प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। इसी दिन प्रतिवादी नं. 2,3,4 ने न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब जरिये अधिवक्ता पेश किया। प्रतिवादी 1 ,5 से 8 के सम्मन बाद तामील लौटे है अनुपस्थित है का आदेश हुआ। पेशी दिनांक 2.12.2024 को अन्य प्रतिवादी भी न्यायालय में उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया। तथा शेष प्रतिवादी बाबजुद सूचना उपस्थित थे उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रार्थीगण एवं अन्य विपक्षी / प्रतिवादी जो मूलवाद में पक्षकार थे प्रार्थीगण को सम्मन की सम्यक् तामील हुई है। प्रार्थीगण ने सम्मन लेने से इंकार किया गांव के स्थाई निवासी दो मौतबिरान क सामने इंकार किया जिससे मौतबिरान ने हस्ताक्षर किये। कानूनन कोई पक्षकार तामील/सम्मन लेने से इंकार कर देता है तथा उसकी ताईद गांव के स्थाई निवासी कर देते है तब यह माना जाता है कि पक्षकारों के प्रकरण की जानकारी हो गई है उसके बावजुद प्रार्थीगण ने न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये उनके विरूद्ध दिनांक 2.12.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित हुये तथा प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय से सम्बधित प्रकरण की प्रतिलिपी भी ली है तथा विपक्षी कमांक 1 ने वाद पेश किया तथा न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी हुआ उसको नोट संख्या 8 से राजस्व रिकार्ड में दिनांक 26.7.2024 को ही लग गया था जिससे प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की पुरी जानकारी थी उसके बावजुद प्रार्थीगण ने न्यायालय में उपस्थिती नही दी अन्य प्रतिवादीगण ने न्यायालय में उपस्थि होकर जवाब पेश किया साक्ष्यों के परीक्षण एवं प्रस्तुत दस्तावेजो तथा न्यायिक प्रकिया के तहत प्रकरण का गुणागान के आधार पर निस्तारण किया है चुंकि न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की प्रोपर तामील हुई है तथा सम्मन लेने से इंकार किया उस पर गांव जयसिंहपुरा के स्थाई निवासीयों ने हस्ताक्षर कर इसकी तस्दीक की तथा तामील कुलिन्दा द्वारा सम्मन लेने से इंकार का नोट अंकित कर तथा उस पर गांव के मौतबिरान के निवास सहीत पत्ते का अंकित कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की। जिस पर न्यायालय द्वारा विधितः उनकी तामील मानी गई है। अगर तामील के बारे में प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी तो प्रार्थीगण ने न्यायालय से प्रतिलीपी प्राप्त की जो एक विचारणीय बिन्दु है। प्रार्थी कमांक 1 के पक्ष में पुश्तैनी आराजीयात का फर्जी तरीके से अन्य वारिसान को अपनी जन्मतः हक व अधिकार की भूमि से वंचित करने के आशय से दान पत्र इसके पक्ष में करवा दिया जिसका नामान्तरण दिनांक 5.7.2024 को खुला ओर इसकी जानकारी होते ही विपक्षी कमांक 1 ने माननीय न्यायालय में वाद पेश किया जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया जिसका नोट दिनांक 26.7.2025 से जमाबन्दी में लग गया तथा प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी कमांक 1 से इस खेत मुकदमे में बारे में लडाई–झगडा किया जिसमें सम्बंध में विपक्षी कमांक 1 से इस खेत व मुकदमें में बारे में लडाई– झगडा किया जिसमें सम्बध में विपक्षी कमांक 1 ने पुलिस थाना बड़ीसादड़ी में लिखित रिपोर्ट प्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 31.7.2024 को प्रस्तुत की उसमें भी विपक्षी कमांक 1 ने उक्त प्रकरण एवं स्थगन का उल्लेख किया । तथा प्रार्थीगण ने विपक्षी के साथ लडाई– झगडा किया तथा मुकदमें में 10,000/– रू खर्च हुये यह बात की जिसकी रिपोर्ट दिनांक 11.8.2024 को विपक्षी कमांक 1 सोहनलाल ने प्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना बड़ीसादड़ी में प्रस्तुत की जिसकी कोई कार्यवाही नही हुई तो सोहनलाल ने श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय चित्तौडगढ के समक्ष रिपोर्ट पेश कि जिस[illegible] प्रार्थीगण को पाबंद किया गया उक्त प्रकरण की जानकारी प्रार्थीगण को शुरू से थी चुकि प्रार्थीग[illegible] सम्मन पूर्व में भी जारी हुये उसके बाद प्रार्थीगण ने न्यायालय सम्मन का मजाक बनाकर जान बुझकर [illegible] लेने से इंकार किया जिसकी ताईद गांव के मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा की गई तथा [illegible] आवेदन करके उक्त प्रकरण की प्रतिलीपी भी प्राप्त की है जिससे प्रार्थीगण [illegible] पहले से ही जानकारी थी उन्होंने कोई कार्यवाही उस समय नही की। निर्णय डिकी के बाद विपक्षी कमांक 1 को नाजायज परेशान करने के लिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

तथा विपक्षी कमांक 1 से अवैध रूपये एठने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिलिय खारिज किये जाने योग्य है। न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये तथा उनकी ओर से अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई वादग्रस्त आराजी में उनका भी बर्थ ऑफ राईट्स के अनुसार हक हिस्सा था जिसका उनके द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया। न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुए वाद डिकी किया गया जिसको प्रार्थीया इस प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज कराने की अधिकारी नहीं है। इसके साथ ही जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधी अधिनियम का पेश किया जिसमें वर्णित किया कि प्रार्थीगण ने जानबुझकर देरी से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो म्याद बाहर है तथा पर्याप्त आधार पर नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया ने नकल ऋण लेने हेतु निकलाई जिसकी तारिख भी अंकित नही की है जिससे यह कैसे माना जा सकता है प्रार्थीया को कब उक्त निर्णय डिकी की जानकारी हुई नकल लेने से कैसे जानकारी हुई इसी आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण को जमाबन्दी में अंकित स्थगन नोट दिनांक 26.7.2024 से है तथा प्रार्थीगण की सम्मन तामील के बाद प्रार्थीगण ने इनकी ओर से नियुक्त अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार वैष्णव के हस्ते प्रकरण की प्रतिलिपी हेतु आवेदन माननीय न्यायालय में दिनांक 15.10.2024 को किया तथा न्यायालय से नकल दिनांक 18.10.2024 को प्रार्थीगण ने प्राप्त की इसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थीगण ने पुलिस थाने में प्रस्तुत की जिससे प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की जानकारी दिनांक 18.10.2024 से पूर्व की है जब विपक्षी कमांक 1 ने प्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त वाद एवं स्थगन जारी का उल्लेख करते हुये प्रार्थी कमांक 1 के पक्ष में फर्जी दान पत्र के आधार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया तथा प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण उठाने का विपक्षी कमांक 1 के उपर दवाब बनाया जिसकी रिपोर्ट विपक्षी कमांक 1 ने पुलिस थाना बड़ीसादड़ी में प्रस्तुत की तभी से प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की जानकारी है तथा प्रार्थीगण ने न्यायालय से नकल भी प्राप्त की उसके बाद न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की सम्यक् तामील के उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद पर गुणागान पर निर्णय होने के 97 दिन बाद उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा जानकारी बैंक ऋण की नकल लेने से बताई जबकी उसमें जमाबन्दी कब देखी उसकी तारीख भी अंकित नही है नकल हेतु आवेदन किया तथा पूर्व में पत्रावली की नकल प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 18.10.2024 को प्राप्त की तभी से प्रार्थीगण की जानकारी में उक्त प्रकरण है जिससे प्रार्थीगण का जानकारी एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत देरी का कोई पर्याप्त कारण नही है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अवधि बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत में हुई देरी को कण्डोन नही किया जा सकता चुकि प्रार्थीगण उक्त प्रकरण एवं एक पक्षीय आदेश की पूर्व मे ही जानकारी थी इसलिये पर्याप्त कारण के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। प्रार्थीगण की जानकारी में उनकी सम्यक तामील हुई तथा उन्होंने जानबुझकर न्यायालय का सम्मन लेने से इंकार किया तथा इसकी तस्दीक स्थाई गांव के निवासी दो मौतबिरान ने की है तथा प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में प्रतिलीपी का आवेदन दिनांक 15.10.2024 को करके न्यायालय से नकल प्राप्त की तभी से तथा जमाबन्दी में स्थगन नोट दिनांक 26.7.2024 से लगा उससे प्रार्थीगण को इस प्रकरण की जानकारी थी इसलिये प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि नही है। जबकी कानूनन आज्ञापक प्रावधान है किसी भी एक पक्षीय आदेश के विरूद्ध 30 दिन के भीतर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है जो प्रार्थीगण ने नही करके अवधि से बाहर निर्णय के 97 दिन बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा न्यायालय से पूर्व में नकल प्राप्त की इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि में नही होने से खारिज फरमाया जावे। जो शामिल पत्रावली किया गया । विपक्षी नं. 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कराते हुये प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया जो शामिल पत्रावली किया गया अन्य विपक्षी नं. 2 व 3 व 5 बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई ।

वकील उभयपक्षो की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये न्यायालय द्वारा जारी एकपक्षीय डिक्री को आदेश 9 नियम 13 [illegible] तहत तथा प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि में पेश करना बताया एवं प्रार्थीगण की प्रोपर तामील नहीं करा [illegible] एकपक्षीय आदेश पारीत कर दिया जिसको निरस्त करने का निवदेन किया इन कथनो के विपरीत वकील विप[illegible] ने अपने जवाबों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अंदर [illegible] प्रार्थीगण को प्रकरण की जानकारी थी न्यायालय से प्रतिलिपि भी प्राप्त की एवं प्रार्थी[illegible]रिपोर्ट में भी उक्त प्रकरण जानकारी थी उन्होंने जानवुझ कर प्रकरण में पैरवी नहीं की जिससे न्यायालय द्वारा गुणागान व अन्य प्रतिवादीगण के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजो के आधार पर वाद डिक्री किया गया है जिसे प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र के आधार पर खारीज कराने का अधिकारी नहीं है एवं प्रार्थीगण ने न्यायालय से दिनांक 18.10.2024 को प्रकरण की प्रतिलिपि ली जिससे प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की जानकारी थी जिससे धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अवधि बाधित होने से खारीज किये जाने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन व चिन्तन किया गया। सर्वप्रथम उक्त प्रकरण में यह देखना है कि–

1– न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 52/2024 निर्णय दिनांक 20.01.2025 एकपक्षीय है या नहीं ?

2– प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंदर अवधि है या नही ?

1– न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 52/2024 निर्णय दिनांक 20.01.2025 एकपक्षीय है या नहीं –

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमने पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं विपक्षीगण के जवाब एवं दोनो पक्षो की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अध्ययन किया गया जिससे यह जाहिर हुआ कि प्रार्थीगण ने एक पक्षीय डिक्री एवं निर्णय को निरस्त करने का कथन किया इसके साथ जमाबंदी नकले न्यायालय कि आदेशिका व सम्मन तथा अंतिम डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रस्तुंत कि जिसमें प्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2024 को सम्मन जारी किये गये जिसमें प्रार्थीगण ने सम्मन लेने से इंकार किया सम्मन पृष्ठ पर गांव के दो व्यक्तियो के हस्ताक्षर है। विपक्षी क्रमांकं 4 द्वारा अपने जवाब में अंकित किया कि तामील कराने वाले मेरे गांव आये मुझे सम्मन की प्रति दी। मेरा अंगुठा लगाकर ले गये। तथा मुझसे पूछा की राधेश्याम व सम्पत कहा रहते हैं तो मैंने कहा कि वह चारभूजा मंदिर के पास मेरा ही घर है वहां रहते हैं और वो चले गये जिससे यह माना जाता है कि प्रार्थीगण को सम्मन न्यायालय से जारी किये गये एवं तामील कुलिन्दा प्रार्थीगण के घर गया जो विपक्षी क्रमांक 4 के जवाब व न्यायालय की आदेशिका से साबित होता है । प्रार्थीगण ने सम्मन लेने से इंकार किया जिसकी ताईद गांव के स्थायी निवासीयों द्वारा की गई जिस आधार पर प्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिनांक 02.12.2024 को पारित किये गये अन्य प्रतिवादीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किये जिसके आधार पर साक्ष्य ली जाकर निर्णय पारित किया गया । विपक्षी क्रमांक 1 के जवाब अनुसार वाद की जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व में थी इस संबध में एफआईआर एवं पुलिस थाने में प्रस्तुत रिपोर्ट एवं जमाबंदी में लगे स्थगन नोट से प्रार्थीगण को थी उसके बावजूद प्रार्थीगण ने न्यायालय से प्रतिलिपि भी प्राप्त की । जो विपक्षी क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज पुलिस थाना रिपोर्ट दिनांक 11.08.2024, पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ को रिपोर्ट, प्रार्थी क्रमांक 2 राधेश्याम को दिनांक 06.08.2024 को एक वर्ष के लिये पाबंद किया गया इस्तगासे की प्रति, जमाबंदी नकल दिनांक 12.08.2024 प्रतिलिपि जारी रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अनुसार क्रम संख्या 109 पर अधिवक्ता प्रार्थीगण दिनेश कुमार वैष्णव ने दिनांक 18.10.2024 को प्रतिलिपि प्राप्त की तभी से प्रार्थीगण को वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण की जानकारी थी जो विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से साबित होता है इस आधार पर यह माना जाता है कि प्रार्थीगण को प्रकरण की जानकारी थी उसके बावजूद उन्होने प्रकरण में जवाब व अपना पक्ष नहीं रखा जबकि प्रार्थीगण ने सम्मन लेने से इंकार किया उसके संबंध में 2023 आरबीजे पेज 392 में राज. उच्च न्यायालय के एसबी सिविल रीट पिटीशन नं. 648 सन. 2020 में लक्ष्मण राम व अन्य बनाम बाली में आदेश दिनांक 10.04.2023 स्पष्ट है कि एकपक्षीय डिक्री तभी अपास्त की जा सकती है जब सम्मन की तामील नहीं हुई हो या किसी अन्य कारण से वाद की सुनवाई हुई तब उपस्थित नहीं हो सकता लेकिन इस वाद में प्रार्थीगण को सम्मन भेजे गये थे लेकिन उन्होने सम्मन लेने से इंकार किया ऐसी परिस्थिति में डिक्री को अपास्त नहीं किया जा सकता अभिनिर्धारित किया गया। उक्त बिन्दु को प्रार्थीगण अपने दस्तावेजो एवं अपने अभिवचन के आधार पर साबित करने में असफल रहा है जिससे यह बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किया जाता हैं ।

2– प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंदर अवधि है या नही –

इस बिन्दु को तय करने के लिये प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं विपक्षीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के आधार पर ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में नकल दिनांक 22.04.2025 को लेने से बताई तथा दिनांक [illegible] को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया विलम्ब को कण्डोन किये जाने का अंकित किया जबकि विपक्षी के जवाब व दस्तावेजो के अनुसार प्रार्थीगण को प्रकरण की जानकारी पूर्व में ही थी। प्रार्थीगण ने न्यायालय में प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर नकल दिनांक 18.10.2024 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

प्राप्त की पुलिस थाना बडीसादडी की रिपोर्ट दिनांक 31.07.2024 में सोहनलाल ने उक्त प्रकरण का उल्लेख किया जिसके आधार पर प्रार्थीगण को पाबंद किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की नकल दिनांक 18.10.2024 को प्राप्त की तभी से प्रार्थीगण को जानकारी थी। जो न्यायालय द्वारा जारी प्रतिलिपि रजिस्टर की प्रति से साबित होता है। ऐसे स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मयाद बाहर है 2002 आर. आरडी पेज 26 में पैरा नंबर 10 में अभिनिर्धारित किया कि जहा मयाद गुजरने के दो माह बाद आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त किया जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो व तत्पश्चात मामले में निगरानी प्रस्तुंत की गई हो एवं कोई पर्याप्त कारण देरी को क्षम्य किये जाने हेतु दर्शित नहीं किये गये हो तो धारा 5 म्याद अधिनियम के अधीन देरी को क्षम्य नहीं किया जा सकता अभिनिर्धारित है। इस विवेचन व दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंदर अवधि में भी नहीं होकर न्यायालय से प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रतिलिपि प्राप्त दिनांक 18.10.2024 के बाद दिनांक 02.12.2024 को प्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई दिनांक 20.01.2025 को वाद डिक्री किया गया प्रार्थीगण ने नकल लेने की जानकारी दिनांक 22.04.2025 से बताई है जो प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर निराधार है प्रार्थना पत्र देरी के कारण क्षम्य करने का प्रस्तुत किया जिसमें देरी एवं डिक्री की जानकारी का कोई पर्याप्त कारण बाबत कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं है। इस तथ्य को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था लेकिन प्रार्थीगण यह बिन्दु भी अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से साबित कराने में असफल रहा है । यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किया जाता हैं ।

अतः समग्र विश्लेषण एवं दोनो कानूनी बिन्दुओं की पृथक–पृथक विवेचना एवं उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन एवं न्यायिक दृष्टातों के अनुसरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि में नहीं होने तथा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के प्रावधानो के विपरीत होने से अस्वीकार किया जाना प्रतीत होता है ।

–:आदेश:–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं । यह आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)
सत्यमेव जयते

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:33 IST
Reason: SelfAttested